"बिजनेस पोस्ट के. अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च 2011—फाल्गुन 27, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2011

क्रमांक ई-1-2/2011/एक/2.—श्री बी.एल. तिवारी, भा.प्र.से. (सीजी : 1996), संचालक, भू-अभिलेख तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण हेतु आयुक्त-सह-संचालक, भू-अभिलेख पदनामित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—डॉ. कमल प्रीत सिंह, भा.प्र.से. (2002) संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03-03-2011 द्वारा श्री अंकित आनंद, भा.प्र.से. (2006) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर को उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया था, एतद्द्वारा उक्त आदेश निरस्त किया जाता है.

3. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03-03-2011 द्वारा सुश्री शम्मी आबिदी, भा.प्र.से. (2007) अपर कलेक्टर, रायपुर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया था, एतद्द्वारा उक्त आदेश निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 10-4/2011/16.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 1 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से विमर्श के पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थापनाओं के वर्गों पर विस्तार, शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अथवा उसके पश्चात् करने की मंशा की सूचना दी जाती है.

1. इस अधिसूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति अथवा सुझाव उपरोक्त समयावधि में प्राप्त होने पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

2. आपत्तियां अथवा सुझाव, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर को प्रेषित किये जा सकते हैं.

अनुसूची

संस्थानों का विवरण (1)	क्षेत्र जहां संस्थान स्थित हैं (2)
निम्नलिखित संस्थान जिनमें 10 अथवा अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं अथवा पिछले 12 माह के किसी भी दिन कार्यरत रहे हों, जैसे — चिकित्सा संस्थान (निगमित, संयुक्त क्षेत्र, न्यास, धर्मार्थ तथा निजी स्वामित्व वाले चिकित्सालय, नर्सिंग होम, निदान केन्द्र, रोग विज्ञान प्रयोगशाला)	समस्त क्षेत्रों जिनमें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के प्रावधान, अधिनियम की धारा 1 (3) के अंतर्गत से प्रवृत्त किये जा चुके हैं.

No. F 10-4/2011/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 the Government of Chhattisgarh in consultation with the Employees' State Insurance Corporation hereby gives notice of its intention to extend the provisions of the Act, to the classes of establishment

specified in the schedule annexed hereto, on or after one month from the date of publication in the official Gazette.

1. Any objection or suggestion, with may be received from any person in respect of the said notification within the period specified above, will be considered by the State Government.

2. The objections and suggestions may be addressed to Principal Secretary, Deptt. of Labour, Govt. of Chhattisgarh, Mantralaya, Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur.

SCHEDULE

Descriptions of establishments (1)	Areas in which the establishments are situated (2)
The following establishments whereon ten or more persons are employed, or were employed on any day of the preceding twelve months, namely — Medical institutions (Including corporate, joint sector, trust, charitable and private ownership hospitals, nursing homes, diagnostic centers, pathological)	All areas where the provisions of the ESI Act, 1948, have already been brought into force under section 1 (3) of the Act.

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2011

संशोधन

क्रमांक एफ 3-2/2006/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-05-2010 "छत्तीसगढ़ स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार नियम" के नियम 6 (2) में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

6. (2) (अ) आवेदन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन/विज्ञप्ति प्रकाशित किये जायेंगे.

(ब) प्रदेश के श्रम विभाग के जिला कार्यालयों, श्रम कल्याण मंडल, भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, व्यवसायिक संघों, उद्योगों एवं उद्योग संघों के माध्यम से पुरस्कार हेतु योग्य व्यक्ति/संस्था का आवेदन सीधे भी प्राप्त किये जा सकेंगे.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2011

क्रमांक एफ 9-4/2009/16.—संविदा श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 37 सन् 1970) की धारा 15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर (छ.ग.) में पदस्थ प्रभारी उप श्रमायुक्त श्रीमती सविता मिश्रा एवं श्री एस.एल. जांगड़े को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य हेतु निम्नानुसार क्षेत्रवार अपीलीय अधिकारी नियुक्त करता है और यह निर्देश देता है कि ये उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी जैसी भी स्थिति हो की शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्रों की सीमा में करेंगे :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	क्षेत्र
1.	श्री एस. एल. जांगड़े, प्रभारी उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर.	रायपुर संभाग एवं बस्तर संभाग में आने वाले जिले
2.	श्रीमती सविता मिश्रा, प्रभारी उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर.	बिलासपुर संभाग एवं अम्बिकापुर संभाग में आने वाले जिले.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2011

क्रमांक/एफ 7-26/32/2010.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग के सूचना क्रमांक समसंख्यक दिनांक 28-8-2010 द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि के उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित (2021) के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टर में)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	हीरापुर उर्फ जरवाय	117	1.070 हेक्टर	आमोद-प्रमोद	कृषि (डेयरी)

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण प्रस्तावित राज्य प्रवर्तित योजना के अंतर्गत गोकुल नगर योजना के प्रयोजन के लिए है.

3. सूचना में उल्लेखित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2011

क्रमांक 67/एफ 1-9/2008/13-1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के अंतर्नियमों की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री व्ही. के. श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित को उक्त कंपनी का निदेशक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के प्रबंध संचालक, श्री एस. पी. चतुर्वेदी के दिनांक 28-02-2011 को सेवानिवृत्त होने के कारण उक्त कंपनी के संचालक श्री व्ही. के. श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित को प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित का कार्यभार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 24 जनवरी 2011

रा. प्र. क्र. 15/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	मोहगांव प. ह. नं. 59	0.554	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	मोहगांव जलाशय अंतर्गत बायीं तट एवं दायीं तट नहर में अर्जन (पूरक प्रस्ताव).

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. संगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 11 फरवरी 2011

क्रमांक/200/भू-अर्जन/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अंत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौ. लोहारा	दुधली प. ह. नं. 22/31	0.12	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	मालीघोरी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 फरवरी 2011

क्रमांक/360/अ.भू.अ.प्र./प्र. 3/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	आनंदगांव प.ह.नं. 26	0.37	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग (छ.ग.)	आनंदगांव जलाशय के अंतर्गत नहर में भू-अर्जन बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कें नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बीजापुर, दिनांक 14 फरवरी 2011

क्रमांक/3116/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बीजापुर	बीजापुर	धनोरा/	34.49	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), बीजापुर.	हवाई अड्डा निर्माण कार्य.
		कोत्तापाल	17.08		
		योग	**51.57**		

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 25 फरवरी 2011

क्रमांक/1553/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	महरूम प. ह. नं. 67	0.739	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाठ परियोजना संभाग, दुर्ग.	मोतीनाला व्यपवर्तन के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 फरवरी 2011

क्रमांक/1554/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	सिंगपुर प. ह. नं. 20	1.96	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	मनकी जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2011

क्रमांक 3/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	पीपरखूंटी	8.55	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	सोनकछार जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2011

क्रमांक 4/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	सारबहरा	4.53	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	आंदुल (जोगीडोंगरी) जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2011

क्रमांक 5/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	गौरखेड़ा	22.38	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	सोनकछार जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्रमांक 2 अ/82 वर्ष 2008-09—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	सलौनीकला प. ह. नं. 13	1736/6	0.008	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	शाखा क्र. 24 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्रमांक 3 अ/82 वर्ष 2009-10—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	मधुबनकला	0.82	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक मुख्य नहर निर्माण बाबत.

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्रमांक 4 अ/82 वर्ष 2008-09—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	बनाहील प. ह. नं. 04	767/2	0.044	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	शाखा क्र. 14 के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्रमांक 5 अ/82 वर्ष 2008-09—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	सोनाडुला प. ह. नं. 01	145	0.068	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	शाखा क्र. 12 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्रमांक 6 अ/82 वर्ष 2008-09—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	तेन्दूमुडी प. ह. नं. 05	47/3	0.028	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	शाखा क्र. 14 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्रमांक 7 अ/82 वर्ष 2008-09—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	माहूलंडीह प. ह. नं. 05	148/2	0.016	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	शाखा क्रं. 16 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्रमांक 8 अ/82 वर्ष 2008-09—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	बेलटिकरी प. ह. नं. 12	53/5	0.020	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	शाखा क्र. 18 के नहर निर्माण कार्य हेतु.
			53/4	0.020		
			53/2	0.012		
			53/1	0.012		
			63/1	0.016		
			63/2	0.016		
			53/3	0.012		
			62/1	0.032		
		योग	8	0.140		

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्रमांक 09 अ/82 वर्ष 2008-09—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	डुरूमगढ़ प. ह. नं. 12	154/1 ब	0.120	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	शाखा क्र. 18 के नहर निर्माण कार्य हेतु.
			157/1	0.037		
			161, 162, 163 — 2	0.020		
			157/2	0.036		
		योग	4	0.213		

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्रमांक 10 अ/82 वर्ष 2008-09—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	कैथा प. ह. नं. 04	44/5	0.056	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	शाखा क्र. 12 के नहर निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्रमांक 11 अ/82 वर्ष 2008-09—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	मड़कड़ी प. ह. नं. 01	882	0.020	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	शाखा क्र. 12 के 47 माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्रमांक 12 अ/82 वर्ष 2008-09—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	बेलमुड़ी प. ह. नं. 05	155	0.036	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	शाखा क्र. 14 के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्रमांक 13 अ/82 वर्ष 2008-09—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन.अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	गोरबा प. ह. नं. 05	4	0.110	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	शाखा क्र. 14 के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.
			11/6	0.085		
			104	0.045		
			105	0.040		
		योग	**4**	**0.280**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 11 फरवरी 2011

क्रमांक/197/2/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-भालूकोन्हा, प. ह. नं. 25/17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	126/1	0.02
योग		0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/01/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-हरदी, प. ह. नं. 36/20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.74 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
572	0.05
709	0.03
811	0.03
822	0.09
82/3	0.07
822/4	0.04
822/5	0.11
840	0.24
853	0.21
854	0.12
855	0.07
856	0.03
925/1	0.01
925/2	0.01
926	0.03
927	0.04
928/1	0.10
928/2	0.04
928/3	0.05
928/4	0.11
929	0.02
930	0.03
978	0.15
979/2	0.12
979/3	0.04
979/6	0.08
980	0.04
981/1	0.10
981/5	0.04
981/7	0.01
1008/4	0.07
1008/5	0.02
1017	0.05
1018	0.02
1022	0.2
1023/1	0.03
1023/2	0.02
1024/1161	0.02
1027	0.12
1028/2	0.02
928	0.05
929	0.03
933	0.02
935.	0.05
932/4	0.05
936	0.02
956	0.05
971/1	0.07
972	0.02
973	0.06
976	0.07
1064	0.07
1075	0.09
1077	0.03
1065/1	0.05
1076	0.08
1080	0.02
1081	0.08
1082	0.05
1085/1	0.09
योग 62	3.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- चिखलपानी, टारबंड योजना निर्माण कार्य अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/02/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-झिथरीडुम्मर, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.86 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	99/1	0.08
	101	0.02
	181/1	0.06
	181/2	0.06
	188	0.08
	190	0.02
	191	0.10
	195	0.05
	196	0.03
	197	0.05
	198	0.22
	230	0.04
	215/640	0.05
योग	13	0.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पैरीघुम्मर व्यपवर्तन योजना निर्माण कार्य अंतर्गत.

(3) भूमि का नकशा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/03/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-गरियाबंद
- (ग) नगर/ग्राम-कोसमबुडा, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.58 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
278	0.01
279/1	0.06
279/2	0.04
281	0.07
282	0.01
283/1	0.04
283/2	0.04
293	0.14
294	0.12
306	0.01
307	0.04
309	0.03
382	0.17
528/2	0.01
528/3	0.03
528/4	0.07
544	0.30
571	0.01
572	0.04
573	0.01
574	0.08
575	0.07
581/1	0.01
581/2	0.02
581/3	0.03

	(1)	(2)
	581/4	0.01
	581/5	0.02
	582	0.08
	640	0.01
योग	29	1.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-पैरीघुम्मर व्यपवर्तन योजना निर्माण कार्य अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 फरवरी 2011

क्रमांक 190 क/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोसीर, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.43 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	565/8	0.21
	565/9	0.22
योग	2	0.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोसीर मार्ग पर लीलागर नदी पर सेतु पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पामगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 फरवरी 2011

क्रमांक 191 क/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भुईगांव, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.345 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	3725/1, 3733/1	0.045
	3725/2, 3733/2	0.045
	3725/3, 3733/3	0.045
	3726/1, 3732	0.105
	3726/2	0.105
योग	5	0.345

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जोंधरा, भुईगांव मार्ग पर लीलागर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मार्च 2011

क्रमांक/3370.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-रिस्दा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-37.255 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
48/2	0.364
48/3	0.405
78	0.117
79	0.308
81	0.008
82/1	0.061
82/2	0.231
82/3	0.057
82/4	0.117
83	0.352
84/1	0.121
84/2	0.332
85	0.093
86/1	0.729
86/2	0.125
87	0.081
88	0.016
89	0.040
90	0.028
91/1	0.089
91/2	0.020
92	0.032
93/1	3.468
93/2	0.214
94	0.344
95	0.049
96	0.332
97/1	0.304
97/2	0.101
98	0.308
99/1	0.206
99/2	0.121
100	0.441
101/1	0.202
101/2	0.206
102/1	0.773
102/2	0.773
103/1	0.384
103/2	0.085
103/3	0.101
103/4	0.036
104	0.845
105/1	0.097
105/2	0.129
105/3	0.162
106/1	0.154
106/2	0.158
107/1	0.198
107/2	0.154
107/3	0.154
108	0.154
109/1	0.567
109/2	0.364
109/3	0.364
109/4 क	0.040
109/4 ख	0.113
109/4 ग	0.210
109/5	0.336
110	0.073
111	0.065
112/1	0.166
112/2	0.166
113	0.210
114	0.789
115/1	0.113
115/2	0.061
115/3	0.413
116	0.737
117/1	0.541
117/2	0.392
117/4	0.170

(1)	(2)
118/1	0.328
118/2	0.121
118/3	0.194
119	0.117
121	0.397
122/1	0.202
122/2	0.340
122/3	0.405
122/4	0.219
122/5	0.073
122/6	0.202
123/1	0.304
123/2	0.304
124	0.202
125	0.198
126	0.198
127/1	0.142
127/2	0.316
128	0.077
129	0.462
130	0.182
131	0.134
132	0.186
133	0.081
134	0.247
135	0.089
136	0.077
137/1	0.698
137/2	0.291
138	0.287
139	0.089
140	0.085
141	0.004
142	0.142
143	0.364
144	0.008
145	0.016
146	0.032
147	0.040
148/1	0.324
148/3	0.299
149	0.073
150	0.202
151/1 क	0.372
151/1 ख	0.122
151/1 ग	0.129
151/1 घ	0.640
176/2	1.619
176/3	2.023
176/6	0.526
176/11	0.526
176/12	0.162
176/17	0.526
177/11	0.376
212/4	1.214
योग 126	37.255

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु (2×330 MW विद्युत संयंत्र स्थापना हेतु.)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मार्च 2011

क्रमांक/3371/भू-अर्जन/20/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-भागोडीह, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.909 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
203	0.607
204	1.061
205/1, 206/1, 207/1	0.397
205/2, 206/2, 207/2	0.198
208	0.182
209/1	0.008

(1)	(2)
209/2	0.299
209/3	0.121
210	0.259
211	0.125
212	0.761
216/6	0.324
216/8	0.243
243/5	0.142
243/6	0.182
योग 15	4.909

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 मार्च 2011

क्रमांक/4054.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.518 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
138/1	0.809
138/3	0.634
139/1	0.109
139/2	0.299
145/2	0.283
387/1	0.081
387/2	0.081
388	0.360
389/1	0.635
389/2	0.105
389/3	0.109
392	0.405
393	0.405
394	0.304
397	0.049
398/1	0.178
398/2	0.158
398/3	0.158
398/4	0.154
398/5	0.182
398/6	0.178
398/7	0.251
399	0.154
400	0.405
401	0.275
402	0.306
403/1	0.943
404/1	0.081
406/4	0.809
406/5	0.809
406/6	0.809
योग 31	10.518

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु (2×330 MW विद्युत संयंत्र स्थापना हेतु.)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेशचंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 1 फरवरी 2011

क्रमांक 522/भू-अर्जन/06/अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-भखारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.36 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1384/1	0.01
1449/2	0.08
1449/1	0.08
9428	0.15
1388	0.04
1426	0.04
1389	0.08
1426	0.12
1424	0.08
1425	0.07
1408	0.30
1421	0.06
1414	0.14
1412	0.06
1320	0.04
1409 0.01 डि. 1413 0.01 डि. 1423 0.01 डि.	0.01
योग 18	1.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-भाठागांव-भखारा बायपास मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 1 मार्च 2011

क्रमांक/397/न.ग्रा.नि./2011.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट कटघोरा निवेश क्षेत्र की भूमि का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र तदानुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं, इस सूचना की

प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चयात्मक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार कर अंगीकृत किए गए हैं.

अनुसूची

कटघोरा निवेश क्षेत्र

उत्तर में - ग्राम महेशपुर, कटघोरा तथा जुराली के उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में - ग्राम जुराली तथा कसनिया के पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में - ग्राम कसनिया, कटघोरा तथा जेंजरा के दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में - ग्राम जेंजरा, हुकरा, नवागांव तथा महेशपुर के पूर्वी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंतराल तक निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत कटघोरा
जिला-कोरबा

No./397/T & CP/2011.—It is published for general information for the public that in pursuance of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) an existing land use map of the planning area of Katghora as specified in the following schedule is hereby duly adopted by the Director, Town and Country Planning. Copy of this notice is being sent for publication in the Chhattisgarh Gazette under sub-section (4) of section 15 of the said Act, And will be conclusive evidence of the fact that the map has been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Katghora Planning Area

NORTH : Village Maheshpur, Katghora & Jurali and upto Northern Limit of village Jurali.

EAST : Village Jorali & Kashaniya and upto Western Limit of village Kashaniya.

SOUTH : Village Kashaniya, Katghora & Jenjra and upto Southern Limit of village Jenjra.

WEST : Village Jenjra, Hokra, Nawagaon & Maheshpur and upto Western Limit of village Maheshpur.

The said map shall be open for inspection at the following place with effect from the date of publication for a period of 15 days during office hours, execpt holidays.

Place of Inspection - Nagar Panchayat Office Katghora
Distt.-Korba.

विनीत नायर
उप-संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 11th January 2011

No. 05/Confdl./2011/II-3-1/2011.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place mentioned in Column No. (4) in the capacity as mentioned in Column No. (6) with a direction to join their place of posting on 17th January 2011 in the forenoon positively, viz. :—

TABLE

Sr. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Prashant Kumar Shivhare, Civil Judge Class-II.	Bhatapara	Rajim	Raipur	Civil Judge Class-II
2.	Shri Anil Kumar Bara, Civil Judge Class-II.	Kasdol	Pamgarh	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-II
3.	Shri Atul Kumar Shrivastava, Civil Judge Class-II.	Bilha	Kartala	Korba	Civil Judge Class-II
4.	Shri Ganesh Ram Patel, Civil Judge Class-II.	Pratappur	Sitapur	Surguja (Ambikapur)	Civil Judge Class-II
5.	Shri Madhusudhan Chandrakar, Civil Judge Class-II.	Kurud	Katghora	Korba	Civil Judge Class-II
6.	Shri Krishna Kumar Suryavanshi, Civil Judge Class-II.	Gariyaband	Tilda	Raipur	Civil Judge Class-II
7.	Shri Rakesh Kumar Som, Civil Judge Class-II.	Kanker	Dabhra	Janjgir Champa	Civil Judge Class-II
8.	Shri Jagmohan Shanker Patel, Civil Judge Class-II.	Bhanu-pratappur	Pakhanjur	Uttar Bastar (Kanker)	Civil Judge Class-II
9.	Shri Shailesh Achyut Patwar-dhan, Civil Judge Class-II.	Dongargarh	Rajnandgaon	Rajnandgaon	III Civil Judge Class-II.
10.	Shri Vinay Kumar Pradhan, Civil Judge Class-II.	Khairagarh	Raipur	Raipur	XII Civil Judge Class-II.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Shri Aditya Joshi, Civil Judge Class-II.	Chirmiri	Chirmiri	Koriya (Baikunthpur)	Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Manendragarh at Chirmiri.
12.	Shri Lavkesh Pratap Singh Baghel, Civil Judge Class-II.	Champa	Champa	Janjgir-Champa	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class - II Janjgir-Champa at Champa.
13.	Shri Kamlesh Jagdalla, Civil Judge Class-II.	Patan	Patan	Durg	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg at Patan.

Bilaspur, the 11th January 2011

No. 130/III-6-2/2007.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers the following Judicial Magistrates First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present Place of Posting (3)	Civil District (4)
1.	Ku. Jyoti Agrawal, Judicial Magistrate First Class	Bilaspur	Bilaspur
2.	Ku. Udaylaxmi Parmar, Judicial Magistrate First Class	Bilaspur	Bilaspur
3.	Smt. Kiran Tripathi, Judicial Magistrate First Class	Bilaspur	Bilaspur
4.	Shri Santosh Mahobiya, Judicial Magistrate First Class	Bilaspur	Bilaspur
5.	Ku. Vandana Verma, Judicial Magistrate First Class	Bilaspur	Bilaspur
6.	Shri Srinivas Tiwari, Judicial Magistrate First Class	Bilaspur	Bilaspur
7.	Ku. Mona Sonwani, Judicial Magistrate First Class	Bilaspur	Bilaspur
8.	Ku. Anju Gupta, Judicial Magistrate First Class	Bilaspur	Bilaspur
9.	Shri Narendra Kumar, Judicial Magistrate First Class	Bilaspur	Bilaspur

Bilaspur, the 12th January 2011

No. 07/Confdl./2011/II-3-1/2011.—The following Civil Judges Class-I & Chief Judicial Magistrates as specified in Column No. (2) are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) of the table below from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

S. No. (1)	Name & Presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Gopal Krishna Neelam, Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Narayanpur	Raigarh	Raigarh	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
2.	Shri Sanjay Kumar Soni, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Raigarh	Narayanpur	Bastar (Jagdalpur)	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.

By order of the High Court,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 12th January 2011.

No. 343/L.G./2011/II-2-13/2009.—Shri Gautam Chouradiya, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave from 05-02-2011 to 11-02-2011 (07 days) and permission to suffix holiday of 12th & 13th February, 2011 (2nd Saturday & Sunday) along with permission to remain out of headquarters from 05-02-2011 to 13-02-2011.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chouradiya, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 255 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 12th January 2011

No. 344/L.G./2011/II-2-22/2001.—Smt. Maitreyi Mathur, Judge, Family Court, Rajnandgaon is hereby, grantred earned leave for 06 days from 17-01-2011 to 22-01-2011 and permission to prefix holidays of 15th & 16th January, 2011 (3rd Saturday & Sunday) & suffix holiday of 23-01-2011 (Sunday) along with permission to leave out of headquarters from 15-01-2011 till the morning of 24-01-2011.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Mathur, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 74 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.